Nalanda open university, Patna

Course – M.A. in journalism and mass Communication
MJMC – part – I
Paper – VII
Subject – Media law and Ethics.

Prepared by – Narendra Tiwari

Topic – The working journalist and (other employees condition of service and misc. provision) Act – 1955 known as working journalist Act, 1955.

This act is a welfare measure meant to regulate conditions of service of the people employed in the newspaper industry. Its provisions are in respect of certain cases of retrechment, payment of gratuity, hours of work, leave, fixation of revision of rates of wages, enforcement of the recommendations of wage fixation bodies, as wage boards and board tribunals, employees provident fund, retirement benefits and recovery of money due from employer. The central government constitutes wage board in order to fix or revise rates of wages for working or non-working journalists. The wage board for journalists shall consists of a chariman (Retired judge of High court or Supreme court), two working journalists representatives, two independent persons.
– For More Informations :
  – Introduction and explanation of the Act.

- Other provisions of the Act.
- Service conditions : working hours, death of employees during service.
- Post retirement benefits.
- Working system under factory law.

Narendra Tiwari.
Phone no. - 9234278669

एमजेएमसी- 1
पेपर- 3
समाचार लेखन कला
लेखक- प्रमोद कुमार सिंह
वरिष्ट पत्रकार,पटना

विकास पत्रकारिता-

विकास मानव जीवन की मौलिक अवधारणा है। जीवन के समग्र विकास को इसके माध्यम से ही समझा जा सकता है। विकास एकांकी न हो इसके लिए इसे संपूर्णता में समझा जाना चाहिए। सिर्फ बिजली,पानी,सड़क ही विकास के तहत नहीं आते बल्कि मानसिक,सांस्कृतिक,वैचारिक और सामाजिक विकास को भी इसके तहत समाहित किया जाना चाहिए। विकास पत्रकारिता इसको विस्तार देता है। आज के दौर में इसका महत्व अत्यधिक हो गया है।

सन् 1982 में द्वितीय प्रेस आयोग ने अपनी रिपोर्ट मे कहा था- "विकास- कार्यक्रम संबंधी समाचार में केवल क्या हो रहा है, यही नहीं, क्या गलती हो रही है यह भी बताना चाहिए। सफलता के कारण बताने के साथ-साथ असफलता के कारण भी बताने चाहिए। हमारे अधिकांश समाचारपत्र केवल सरकार की ओर से जारी विकास संबंधी विज्ञप्तियां छापते हैं, जिनमें दुग्ध उत्पादन, मुर्गीपालन, कितने लोगों को आ गया

या साक्षर किया गया, इसके आंकड़े होते हैं। उन्हें पढ़कर पाठकों को ऐसा नहीं लगता की जिन विकास कार्यकर्ताओं ने प्रत्यक्ष काम किया है, इन कार्यक्रमों से जिन लोगों को लाभ हुआ है उनकी बात उन्हें पढ़ने को मिल रही है ताकि उनके मुंह से उनके शब्दों में उनकी सफलता और कठिनाइयों की कहानी सुन सकें।"

द्वितीय प्रेस आयोग ने कहा था- " ग्राम विकास, शिक्षा सुधार, कुष्ठ निवारण आदि क्षेत्रों में गैर सरकारी संस्थाएँ जो काम कर रही हैं, उसके बारे में विस्तृत और सघन समाचार देने में तो सरकार द्वारा चलाये जा रहे विकास-कार्यक्रमों के मुकाबले और भी कम ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार के गैर सरकारी प्रयासों के बारे में हमारे समाचारपत्र तभी जान पाते हैं जब किसी को जमनालाल बजाज या मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है। विकासशील देश के स्वतंत्र समाचारपत्रों को निश्चित रूप से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति अधिक जागरूक और प्रयत्नशील होना चाहिए। संवाददाता अगर चाहे तो विकास संबंधी समाचारों को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। समाज की उपलब्धियों के बारे में सकारात्मक समाचार देकर विकास को प्रोत्साहन देना, नागरिक को अधिक परिश्रम कर अपना जीवन और समाज समृद्ध करना पत्रकार का और खासकर संवाददाता का कर्तव्य हो जाता है। विकास संबंधी पत्रकारिता के लिए कुछ बातों के बारे में सावधानी बरतना जरूरी है। पहली यह कि विकास पत्रकारिता की आड़ में किसी व्यक्ति या संस्था का अनुचित प्रचार नहीं होना चाहिए। लिखने की शैली ऐसी होनी चाहिए कि पाठक का ध्यान बंधा रहे। ध्यान में रखने की तीसरी बात यह है कि तथ्यों के बारे में कोई गलतियां या अतिशयोक्ति न हो। चौथी बात यह है कि राजनीति या अपराध की तुलना में विकास संबंधी समाचार देने में अधिक समय और मेहनत लगती है। एक बार समाचार देकर छुट्टी नहीं होती, प्रगति के समाचार देकर पाठकों की रुचि बनाएं रखना जरूरी होता है।

विकास पत्रकारिता के तहत महज सरकारी योजनाएं ही नहीं आती हैं

बल्कि कृषि,पशुपालन,स्वरोजगार जैसी चीजें भी आती है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। एक नदी पर पुलिया का निर्माण अधूरा पड़ा है। इससे कई गांवो की यातायात और सिंचाई व्यवस्था जुड़ी हुई थी। अधूरेपन के चलते विकास अवरुद्ध था। इस पर जब संवाददाता की नजर पड़ती है तो वह इसकी पड़ताल करता है। इस योजना का प्राक्कलन (एस्टीमेट) की जानकारी प्राप्त कर ठेकेदार से इसकी जानकारी लेता है। काम बंद होने का कारण जानता है। आगे की किस्त न मिले से कार्य रुका हुआ था। इसके लिए जिम्मेदार इंजीनियर से बात करता है। संवाददाता को यह जानकारी मिलती है कि ऊपर से पैसा ही रिलीज नहीं हुआ। इस तरह उच्च अधिकारी तक संवाददाता उस खबर का पीछा करता है। प्रभावित लोगों का बयान लेकर उस अधूरी पुलिया की तस्वीर के साथ एक मुकम्मल खबर छपता है। छपने के बाद जब शीर्ष अधिकारियों कि उस खबर पर नजर पड़ती है तो प्रशासन हरकत में आता है। पैसा रिलीज होता है और काम शुरू हो जाता है। इस तरह विकास की इस योजना को पूरा कराने में एक संवाददाता अहम रोल अदा करता है।

इससे स्पष्ट होता है कि संवादाता की भूमिका विकास के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

Last modified: 6:35 pm